प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्र. 982 / 2006</u>

सतीश कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश सूचीबद्ध हेतु दिनांक 23.02.2007 को नियत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

(धीरेंद्र मिश्रा)

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्र. 982 / 2006</u>

सतीश कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से — श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरदाता क्रमांक 1 से 5 / राज्य की ओर से — श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 की ओर से — श्री जितेन्द्र पालि, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश द्वारा-

1. पक्षकारों की सहमति से याचिका का अंतिम रूप से निराकरण किया गया।

2. यह याचिका आदेश दिनांक 09.01.2006 अनुलग्नक पी-8 को चुनौती देने हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16, जो प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय में श्रेणी-3 (कार्यपालक) पद पर कार्यरत थे, उन्हें पंचायत एवं सामाजिक कल्याण विभाग में पंचायत एवं सामाजिक शिक्षा आयोजक पद पर, समान वेतनमान ₹4000–100–6000 में पदस्थ किया गया।

3. इस याचिका के निर्णयन हेतु आवश्यक प्रासंगिक तथ्य निम्नानुसार हैं कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1981 से 1987 के बीच पंचायत एवं सामाजिक कल्याण विभाग में श्रेणी-3 अनुसचिवीय सेवा में हुई थी। वर्ष 2002 से इन्हें सहायक ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया। याचिकाकर्ताओं की अगली पदोन्नति उप-लेखा परीक्षक के पद पर होगी और उसके बाद उन्हें

पंचायत निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा जो पंचायत और सामाजिक आयोजक के समकक्ष है; जबकि उत्तरदातागण क्रमांक 6 से 16 को संचालनालय पंचायत एवं सामाजिक कल्याण द्वारा म.प्र. पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में वर्ग-3 (कार्यपालिक) के पद पर आदेश दिनांक 18-1-1980 के तहत पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक/पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किया गया था तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पदस्थ किया गया था। मध्यप्रदेश राज्य के तत्समय के विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 29-05-1997 को पारित आदेश के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय के अधीन कार्यरत सभी आयोजकों (वर्ग-3 कार्यपालक) को अधिशेष घोषित किया गया तथा दिनांक 06-06-1998 के आदेश के द्वारा उनकी सेवाओं को विद्यालय शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर समाहित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, दिनांक 09-09-2003 के आदेश द्वारा राज्य में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षकों की सेवाएँ, जिनमें उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 की सेवाएँ सम्मिलित हैं, विद्यालय शिक्षा विभाग में समाहित कर दी गईं। पंचायत एवं समाज सेवा आयुक्त द्वारा, अनुलग्नक-पी.4 के अंतर्गत दिनांक 10-11-2000 को जिला सरगुजा के उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को संबोधित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षकों को पंचायत एवं समाज शिक्षा आयोजक के रूप में पदस्थ नहीं किया जा सकता, चूँकि शासन द्वारा विद्यालय शिक्षा विभाग को प्रौढ़ शिक्षा आयोजकों का मूल विभाग घोषित किया गया है। उक्त पत्र पर्यवेक्षक संघ, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के संदर्भ में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 द्वारा, दिनांक 09-09-2003 के उस आदेश को चुनौती देते हुए, जिसके अंतर्गत विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में कार्यरत पर्यवेक्षकों को विद्यालय शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर समाहित किए जाने हेतु

निर्देशित किया गया था, माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 3929/2003 तथा रिट याचिका क्रमांक 2205/2004 प्रस्तुत की गई। इन दोनों रिट याचिकाओं का माननीय न्यायालय द्वारा इस निर्देश सहित निस्तारण कर दिया गया कि उक्त याचिकाओं के याचिकाकर्ता अपने अभ्यावेदन में उठाई गई आपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, जो उक्त अभ्यावेदन का निर्णय विधि अनुसार, यथाशीघ्र, यथासंभव 6 सप्ताह की अवधि के भीतर, प्राप्ति की तिथि से करेगा। तत्पश्चात, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 09-01-2006 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश के माध्यम से अभ्यावेदन का निर्णय किया गया, जिसके विरुद्ध वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि सम्पूर्ण प्रौढ़ शिक्षा विभाग को विद्यालय शिक्षा विभाग में समाहित कर दिया गया है, तथा ऐसी स्थिति में उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 का मूल विभाग विद्यालय शिक्षा विभाग से परिवर्तित कर पंचायत एवं समाज सेवा विभाग निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 की सेवाओं को पंचायत एवं समाज सेवा विभाग में समाहित नहीं किया जा सकता तथा उक्त उत्तरदातागण को पंचायत एवं समाज शिक्षा आयोजक के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस संबंध में कोई नियम/परिपत्र नहीं है, जैसा कि अनुलग्नक पी-4 से स्पष्ट होता है। अनुलग्नक पी-8 का आदेश नियमों से परे है, अतः यह आदेश अवैध है एवं निरस्त किए जाने योग्य है। प्रबल रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुलग्नक पी-8 के आदेश का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त आदेश रिट याचिका क्रमांक 3929/2003 तथा रिट याचिका क्रमांक 2205/2004 (क्रमशः अनुलग्नक पी-6 एवं पी-7) में पारित आदेशों के अनुपालन में पारित किया गया दिखाया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश पारित नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, उत्तरदातागण क्रमांक 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि रिट याचिका क्रमांक 3929/2003 एवं रिट याचिका क्रमांक 2205/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया तथा तत्पश्चात् उन्हें पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में शिक्षा आयोजक के पद पर, उसी वेतनमान पर, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग तथा विद्यालय शिक्षा विभाग की पूर्व सहमति से पदस्थ किया गया। यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 की सेवाओं के पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में समाकलन का निर्णय, उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् ही लिया गया है। याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के उक्त सुविचारित निर्णय को चुनौती देने का कोई विधिसम्मत प्रत्यक्ष हित प्राप्त नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 का मूल विभाग पंचायत एवं समाज सेवा विभाग था, जो कि दिनांक 18-01-1980 के नियुक्ति आदेश से स्पष्ट है। उक्त उत्तरदातागण का चयन लघु लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने के पश्चात् कार्यपालिक संवर्ग में नियुक्त किया गया था। प्रारंभ में राज्य शासन द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसे तत्पश्चात् समाप्त कर दिया गया, एवं राज्य शासन द्वारा उक्त उत्तरदातागण को विधि में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किए बिना तथा राजपत्र (गजट) प्रकाशन के अभाव में त्रुटिवश अधिशेष घोषित कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में रिट याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं, एवं उन याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तरदातागण क्रमांक 6 से 16 द्वारा संबंधित विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावेदनों में व्यक्त की गई आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा अनुलग्नक पी-8 के अंतर्गत निर्णय

लिया गया है। याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत सहायक अधिकारी हैं, जिन्हें अगली पदोन्नति उप-लेखाकार के पद पर प्राप्त होनी है, एवं तत्पश्चात् ही वे पंचायत एवं समाज कल्याण आयोजक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। अतः याचिकाकर्ताओं को अनुलग्नक पी-8 के आदेश को चुनौती देने हेतु कोई विधिसम्मत अधिकार प्राप्त नहीं है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

9. दिनांक 18-01-1980 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदात क्रमांक 6 से 16 की नियुक्ति तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के पंचायत एवं समाज सेवा विभाग में श्रेणी-3 (कार्यपालक) पद पर की गई थी, एवं उन्हें पंचायत एवं समाज सेवा आयोजक/पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थ किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 19-05-1997 के आदेश द्वारा उनकी सेवाओं को अधिशेष घोषित किया गया तथा दिनांक 06-06-1998 के आदेश द्वारा उक्त सेवाओं को विद्यालय शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में समाहित करने की अनुमति प्रदान की गई। उक्तानुसार, उनकी सेवाएँ विद्यालय शिक्षा विभाग में समाहित की गईं, जिसके विरुद्ध उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 द्वारा दो रिट याचिकाएँ प्रस्तुत की गईं। तथापि, दिनांक 09-01-2003 के आदेश को प्रभाव में नहीं लाया गया एवं रिट याचिका क्रमांक 3929/2003 में पारित अंतरिम आदेश के आधार पर उन्हें उनके विभाग से कार्यमुक्त नहीं किया गया और उन्हें, उनके अभ्यावेदन के निर्णय तक, सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई। अतः उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 की सेवाओं का विद्यालय शिक्षा विभाग मे समामेलन प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया तथा इस बीच, उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 के अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया गया एवं दिनांक 09-01-2006 को अनुलग्नक पी-8 के अंतर्गत उन्हें पुनः पंचायत एवं समाज सेवा विभाग में पदस्थ कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता उपर्युक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दे रहे हैं कि उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 को याचिकाकर्ताओं के विभाग में पदस्थ किए जाने से याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की संभावनाएँ प्रभावित होंगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को भी क्रमशः उप-लेखाकार तथा तत्पश्चात् पंचायत एवं समाज कल्याण आयोजक के पद पर पदोन्नति प्राप्त होनी है।

11. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि पदोन्नति पर विचार किए जाने का अधिकार सेवा की एक शर्त है, किंतु पदोन्नति की संभावनाएँ सेवा की शर्त नहीं मानी जाती। अतः केवल इस आधार पर कि पदोन्नति की संभावनाओं में कमी आई है, सेवा की शर्तों में परिवर्तन नहीं माना जा सकता। वर्तमान प्रकरण में, शासन की नीति में परिवर्तन से केवल याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की संभावनाएँ प्रभावित हुई हैं, किंतु पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का उनका अधिकार अथवा पात्रता अप्रभावित बनी हुई है, अतः उत्तरदातागण क्रमांक 6 से 16 को पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में पदस्थ किए जाने का राज्य शासन का नीति निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन नहीं है। इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों पर विश्वास व्यक्त किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के. जगदीशन बनाम भारत संघ एवं अन्य (1990) 2 SCC 228,

भारत संघ एवं अन्य बनाम एस. एल. दत्ता एवं अन्य (1991) 1 SCC 505, तथा

भारत संघ एवं अन्य बनाम एन. वाई. आप्टे एवं अन्य (1998) 6 SCC 741।

यह भी विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब विभिन्न स्रोतों से कार्मिकों को एक नवीन विभाग में समाहित एवं समाकलित किया जाता है, तो यह प्राथमिक रूप से संबंधित शासन अथवा कार्यपालिका का नीति विषयक क्षेत्राधिकार होता है कि वे पदों की समता किस प्रकार स्थापित

करें। न्यायालय तब तक ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि वह निर्णय मनमाना, अविवेकपूर्ण अथवा पक्षपातपूर्ण है। यदि निर्णय में कोई प्रत्यक्ष अन्याय या अमान्यता प्रदर्शित नहीं की जाती, तो न्यायालय उस नीति की उचितता या विवेकशीलता की समीक्षा करने हेतु अपीलीय अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है। इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादों में प्रतिपादित निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है:

आर. एस. माकाशी एवं अन्य बनाम आई. एम. मेनन एवं अन्य (1982) 1 SCC 379, तथा

तमिलनाडु शिक्षा विभाग मिनिस्ट्रीयल एवं सामान्य अधीनस्थ सेवा संघ एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (1980) 3 SCC 97

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि उपर्युक्त कंडिकाओं में पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है, उत्तरदाता क्रमांक 6 से 16 की प्रारंभिक नियुक्ति तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में की गई थी, जहाँ उन्हें पंचायत एवं समाज शिक्षा आयोजक/पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ किया गया था। उक्त उत्तरदातागण वर्ष 1980 से इस पद पर कार्य करते हुए 25 वर्षों से अधिक अवधि तक सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं। उनके पास शिक्षण का कोई अनुभव नहीं है, अतः उनकी सेवाओं को विद्यालय शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में समाहित किया जाना उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। इन परिस्थितियों में, अनुलग्नक पी-8 के उस आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती, जिसके द्वारा उक्त उत्तरदातागण को पुनः पंचायत एवं समाज सेवा विभाग में पदस्थ किया गया है। याचिकाकर्ताओं को केवल इस आधार पर कि उनकी पदोन्नति की संभावनाएँ प्रभावित हो रही हैं, यह याचिका प्रस्तुत करने का कोई विधिसम्मत अधिकार नहीं है, क्योंकि पदोन्नति की संभावनाएँ न तो कोई अधिकार हैं और न ही सेवा की शर्तों के अंतर्गत आती हैं।

13. परिणामस्वरूप, याचिका निराधार पाए जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार खारिज की जाती है।

14. परिणामतः, एम. डब्ल्यू .पी. क्रमांक 764/2006 तथा आई.ए. क्रमांक 7760/2006 भी निराकृत किये जाते हैं।

हस्ताक्षरित/-

(धीरेंद्र मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur